उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–860/71–1–11–जी–92/2011
लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध सामान्य सर्जरी, विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–288(I)/34/सेवा–8/2009–10, दिनॉक 22.02.2011, में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय डा0 सोनल सचदेवा, स्थायी निवास जनपद– कानपुर, पता–117/एच0आई0/276 माडल टाउन, पाण्डू नगर, कानपुर– 208005 को वेतन बैण्ड रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 5400/– में प्रवक्ता, सामान्य सर्जरी के पद पर राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उपर्युक्त अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/वेतनमान के अनुरूप समय–समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) उपर्युक्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) उपर्युक्त अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थी को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होंगा।

(5) उपर्युक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम–18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) उपर्युक्त अभ्यर्थी का यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण–पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

(5) चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण–पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण–पत्र।

3– उपर्युक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य चिकित्सा परिषद से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगी।

4– उपर्युक्त अभ्यर्थी का चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन अलग से कराया जा रहा है जिसमें किसी प्रतिकूल तथ्य के पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। अभ्यर्थी को कार्यभार

ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाय कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाय तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

5— डा0 सोनल सचदेवा की उपर्युक्त नियुक्ति/तैनाती रिट याचिका संख्या—66385/2010 डा0 सोनल सचेदवा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या—860 (1)/71—1—11, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दे।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज ।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6 वित्त नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कालेज, कन्नौज ।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
अनु सचिव

Rade shyam/santosh/U.O.